

उपखण्ड अधिकारी
 (विकास पंचायती)
 21.11.20



आदेश
 प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि ग्राम औखाला पटवार हल्का औखाला मू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हमीरगढ तहसील हमीरगढ में उसके खेतों की कृषि मूंस की खेती संख्या 96 की आ.न. 1477 रकबा 0.0885 है0, मूंस स्थित है। जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लेण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार को जावे तथा नियमानुसार निर्धारित द्यूक 300/- पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/-रु0 की नियमानुसार अदस्तगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश
 प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 24.09.2020 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 से लगायत 04 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नहीं है। अतः न्यायित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का व्यापक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खेतों की खेतीदायी कृषि मूंस की पत्थरगढी करान का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वतन्त्र निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवदन प्रार्थी स्वीकार

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 22.09.2020 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम औखाला पटवार हल्का औखाला मू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हमीरगढ तहसील हमीरगढ में उसके खेतों की कृषि मूंस की खेतीदायी एवं संख्या 96 की आ.न. 1477 रकबा 0.0885 है0, मूंस स्थित है। बावजूद मूंस की विपक्षीण पञ्जाबी है प्रार्थी एवं विपक्षीण के मध्य प्रस्तावित आराजी के सीमा विन्द नहीं होने से आवे दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिये प्रार्थी अपने खेतों की खेतीदायी कृषि मूंस की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

निर्णय दिनांक 19.11.2020
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम 1956

—अप्रार्थीण—

1. श्री काना पति स्व. श्री काना अहीर नि. औखाला।
2. श्रीमति सुनी पति श्री काना अहीर नि. औखाला।
3. श्री नाना पुत्र श्री सोरम अहीर नि. औखाला।
4. श्री नाराण पुत्र श्री सोरम अहीर नि. औखाला।
5. राजस्थान राज्य जसिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाड़ा।

बनाम

—प्रार्थीण—

01. श्री कार्य पुत्र सोला भूतबन्ना खाना जी अहीर, निवासी औखाला।
02. श्री रतन पुत्र सोला जी अहीर निवासी औखाला।
03. श्री शंकर लाल पुत्र सोला अहीर नि. औखाला।
04. श्री सीताराम पुत्र उदा अहीर नि. औखाला।
05. श्री जलई पति स्व. श्री नन्दा अहीर नि. औखाला।
06. श्री शंकर लाल पुत्र श्री नन्दा अहीर नि. औखाला।
07. श्री राधेश्याम पुत्र स्व.श्री नन्दा अहीर नि. औखाला।
08. श्री किशन पुत्र नन्दा अहीर नि. औखाला।
09. श्रीमति सुनी पत्नी स्व0 श्री नारायण अहीर नि. औखाला।
10. श्री पद्म पुत्र स्व0 श्री नारायण अहीर नि. औखाला।
11. श्री कमलेश पुत्र स्व0 श्री नारायण अहीर नि. औखाला।
12. टीन पुत्र स्व0 श्री नारायण अहीर नि. औखाला।
13. रामेश्वर पुत्र स्व0 श्री नारायण अहीर नि. औखाला तह हमीरगढ जिला भीलवाड़ा।

अन्यान